



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022026-270569
CG-DL-E-28022026-270569

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1035]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2026/फाल्गुन 8, 1947

No. 1035]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2026/PHALGUNA 8, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2026

का.आ. 1079(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 50 किमी से 76 किमी के NH7 तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH7 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उप-मंडल मजिस्ट्रेट पटियाला	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	पंजाब	पटियाला	पटियाला	1 साहिब नागर यूआरएफ थेरी (29)

		NH7 के कि.मी 50 से कि.मी 76 तक			
--	--	--	--	--	--

[फा. सं. PROJ-15/40/2025-PIU Chandigarh]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th February, 2026

S.O. 1079(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 50 to Km. 76 of the NH7 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of PUNJAB.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH7 in the State of PUNJAB.**

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Sub Divisional Magistrate Patiala	NH7 KM 50 TO KM 76	PUNJAB	PATIALA	Patiala	1 Sahib Nagar Urf Theri (29)

[F. No. PROJ-15/40/2025-PIU Chandigarh]

SHAIKH AMINKHAN, Director